

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

## प्ररूप 21—ग

( नियम 64 देखिये )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

**173—भीम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री सुदर्शन सिंह रावत,

ग्राम – नन्दावट, तहसील भीम जिला राजसमन्द

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान :बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. काकरोली (राजसमन्द)

दिनांक : 11/12/2018

( सुरेश कुमार चावला )

रिटर्निंग अधिकारी

173—भीम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम

Conduct of election Rules.1961  
(Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

( See. rule 64 )

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the  
People Act. 1951

\*\*\*\*\*

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **173-BHIM**  
Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation  
of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961, I  
declare that :-

**Shri Sudarshan Singh Rawat**

GRAM - NANDAWAT, TEHSIL BHIM,  
DISTRICT - RAJSAMAND

Sponsored by **Indian National Congress**

( Name of recognised/registered political party ) has been duly elected to fill  
the seat in that house from the above constituency

Place : Shri Balkrishna Vidhyabhavan Govt. Adarsh Sr. Sec.School, Kankroli (Rajsamand)

Date : 11/12/2018

( SURESH KUMAR CHAWLA )

Returning Officer

173-BHIM Assembly Constituency

Subdivisional Magistrate & Sub divisional Officer BHIM